राजस्थान–सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकःएस्टे / डीईएस / विविध / 52 / 2021 / 119 दिनांक : 17.01.2022

कार्यालय–आदेश

गृह (ग्रुप–7) विभाग के आदेश क्रमांकः प.7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा कोविड के नये वैरिएंट 'Omicron' संक्रमण के बढते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना में विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा निम्नानुसार पालना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है :–

- समस्त कार्मिकों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, आपस में दो गज की दूरी व सेनेटाईजेशन आदि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित शाखा प्रभारी की होगी।
- शाखा प्रभारी द्वारा विशेष योग्यजन / गर्भवती महिला / 55 वर्ष या उससे अधिक आयु / पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीडित कर्मचारी / अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक होगा।
- वे कर्मचारी / अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे है, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के कक्ष को 72 घंटे के लिये बंद किया जा सकेगा एवं संबंधित कार्यालय कक्ष के अन्य कार्मिकों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

उक्त आदेशों की अनुपालना में समस्त यूनिट प्रभारी अपने स्तर पर आदेश जारी कर प्रति प्रशासन शाखा को भिजवाएं।

(डॉ.ओमप्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय मुख्यालय।
4. नोडल अधिकारी आई.टी. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला ....।
6. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी।
7. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।

(आकाश पाठक)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन